न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेंस / एलआर / 3787 / 2012 / अलवर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड़।

....प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल
2. सीताराम — पुत्रगण रामनिवास
3. प्रकाश
4. अशोक
5. रामेश्वर बेवा रामनिवास

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी नारेड़ा कला तहसील बहरोड़ जिला अलवर।

....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री आर.सी.गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री रमजान मौहम्मद, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी ।

निर्णय

दिनांकः 20–2–2014

यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) अलवर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 28–3–2012 द्वारा मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बहरोड़ ने अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) अलवर के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नारेड़ा कला तहसील बहरोड़ में विवादित आराजी खसरा नंबर 426 / 2 जिसके हाल नंबर 684 रकबा 33 एयर एवं 690 रकबा 6 एयर गैर मुमकिन रास्ता थी जिसे बाद में अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड़ के एक दावा इस्तकरारहक हुक्मइमतनाई दावामी का प्रस्तुत कर दिनांक 4–2–2002 को अपने पक्ष में

डिक्री पारित करवा ली जबकि उक्त भूमि आम रास्ता है जो कदीम से रास्ते के उपयोग में चली आ रही है एवं ग्रामवासी इस पर आवागमन करते हैं । अतः सहायक कलेक्टर, बहरोड़ द्वारा एकतरफा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–2–2002 को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त निर्णय दिनांक 28–3–2012 से सहायक कलेक्टर, बहरोड़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–2–2002 को निरस्त करने की अनुशंसा के साथ रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया।

3– हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर सुनी।

4– योग्य राजकीय उप अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–3–2012 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उनका यह भी कथन है कि सहायक कलेक्टर, बहरोड़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–2–2002 रिकार्ड एवं प्रचलित विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा ना ही वे विवादित आराजी के खातेदार रहे । जमाबन्दी संवत् 2042–61 विवादित भूमि सिवाय चक एवं जमाबन्दी संवत् 2025–38 में पगडंडी एवं जमाबन्दी संवत 2029 में रास्ता/पगडंडी दर्ज है । इसके अतिरिक्त केवल दीर्घ अवधि के कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में सहायक कलेक्टर, बहरोड़ द्वारा बिना कोई जांच किए बिना रिकार्ड का अवलोकन किए रास्ते की जमीन पर खातेदारी देकर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है। ऐसे नियम विरूद्ध आदेश के विरूद्ध रेफरेन्स प्रस्तुत किये जाने की कोई मियाद निर्धारित नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को स्वीकार किया जावे तथा सहायक कलेक्टर, बहरोड़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2011 पृष्ठ 429, 1990 डब्ल्यू.एल.एन.(पार्ट–II) पृष्ठ 97, 1992 आर.आर.डी. पृष्ठ 48, 568 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए ।

5– योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित खसरा नंबर 426 बहुत बड़ा रकबा का नम्बर था जिसमें प्रार्थी के अलावा अन्य लोगों को भी आवंटन हुआ था उस समय कोई रेफरेन्स नहीं किया गया है व इस संबंध में एक वाद दिनांक 13–1–78 को न्यायालय सहायक कलेटर, बहरोड़ द्वारा डिक्री किया गया था

उसके विरूद्व भी कोई रेफरेन्स नहीं किया गया है । विवादित आराजी रास्ते से पृथक है। सहायक कलेक्टर द्वारा अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा मानते हुए ही दिनांक 4–2–2002 द्वारा वाद डिक्री किया है जिसमें तहसीलदार द्वारा जबावदावा भी प्रस्तुत किया गया था । इससे प्रमाणित होता है कि तहसीलदार को उक्त निर्णय की जानकारी होने के बावजूद भी उसने दिनांक 17–7–2007 को मियाद बाहर रेफरेन्स प्रस्तुत किया है । सहायक कलेक्टर अप्रार्थीगण का कब्जा प्रमाणित होना मानते हुए दिनांक 4–2–2002 को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे, जिसके विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है किन्तु तहसीलदार द्वारा अपील का समय निकल जाने के पश्चात रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है एवं किसी भी अवैधानिक डिक्री को निरस्त करने हेतु अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत अपील करनी चाहिए । रेफरेन्स के माध्यम से पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा रेफरेन्स प्रकरण अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे ।विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में 2009 आर.आर.डी. पृष्ठ 33 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सहायक कलेक्टर ने वादीगण अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होना मानते हुए विवादित आराजियात का अप्रार्थीगण को गैर खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में भूमि स्वत्व एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन संबंधी भी कोई मूल/प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त केवल दीर्घ अवधि के कब्जे के आधार पर गैर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं । यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि रेफरेन्स कार्यवाही के दौरान भी अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई लिखित दस्तावेज पेश नहीं किए हैं जिससे उसका कब्जा साबित हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न खसरा परिवर्तनशील संवत् 2031 में भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है एवं जमाबन्दी संवत् 2029 में भी गॉव के मार्ग तथा पगडंडिया दर्ज है एवं खसरा गिरदावरी संवत 2035 से 2039 में भी ग्राम के मार्ग तथा पगडंडिया दर्ज है । एवं संवत 2042 से 2061 में भी सरकार व गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है ।

8— रास्ता, पगडंडिया हेतु वर्गीकृत भूमि या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमियॉ है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(vi) के अन्तर्गत "Land acquired or held for a public purpose or a work of public utility" भूमियों पर खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते हैं और यदि ऐसी भूमियों पर किसी आदेश/डिक्री के द्वारा यदि खातेदारी प्रदत्त कर दिए गए है तो वह प्रभावशून्य एवं व्यर्थ होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अधिनियम की धारा 16 (vi) से प्रतिबन्धित होते हुए भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि(आमजन के प्रयोजनार्थ रास्ते की भूमि) पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि विरूद्व कार्य किया है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक दृष्टांत 1992 आर.आर.डी. पृष्ठ 496 में यह अभिनिर्धारित किया है कि ''रास्ता'' की भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते हैं ।

9— अतः हस्तगत निर्णय देखने मात्र से ही विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेज एवं साक्ष्य के अप्रार्थी के पक्ष में जो निर्णय पारित किया है, में तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि की है । इस प्रकार सहायक कलेक्टर द्वारा साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत विधि विरूद्व निर्णय एवं डिक्री पारित की है एवं ऐसी अवैध निर्णय एवं डिक्री जो धारा 16(vi) से प्रतिबन्धित हो, को रेफरेन्स के माध्यम से कभी भी निरस्त किया जा सकता है इस संबंध में विधि विरूद्व डिक्री को निरस्त किए जाने के संबंध में रेफरेन्स के लिए कोई मियाद भी निर्धारित नहीं है । अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य है।

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है । सहायक कलेक्टर, बहरोड़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4—2—2002 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 684 रकबा 33 एयर एवं 690 रकबा 6 एयर वाके ग्राम नारेड़ाकला तहसील बहरोड़ जिला अलवर को पुनः गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी..गुप्ता)
सदस्य